कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025 **दिनांक 19/03/2025**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 18.03.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा निर्माणाधीन हाइवे पर जू0इंजिनियर के साथ मारपीट करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.03.2025 को उ0नि0सर्वजीत मय हमराह द्वारा थाना दुल्लहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 45/25 धारा 115(2),352,351(3),110 बीएनएस में नामित अभियुक्त रविन्द्र यादव पुत्र चन्द्रदीप यादव नि0 बहलोलपुर थाना दुल्लहपुर गाजीपुर को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त उपरोक्त के घर ग्राम बहलोलपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण - दिनांक 17.03.2025 को माउली कंस्ट्रक्शन कैम्पस कैनाल बहलोलपुर मे जू0इंजिनियर श्री विजय कुमार यादव के साथ हुई मार पीट मे वादी श्री विजय कुमार यादव पुत्र सौदागर सिंह यादव नि0 अहिरौली थाना कोतवाली गाजीपुर की तहरीर पर थाना दुल्लहपुर पर मु0अ0सं0 45/25 धारा 115(2),352,351(3),110 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1 .रविन्द्र यादव पुत्र चन्द्रदीप यादव नि0 बहलोलपुर थाना दुल्लहपुर गाजीपुर उम्र -24 वर्ष

02. थाना सैदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 78/2025 धारा 103 (1) बीएनएस से संबंधित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक सैदपुर मय हमराह द्वारा दिनांक 17.03.2025 को थाना सैदपुर पर पंजीकृत हुए मु0अ0स0 78/2025 धारा 103 (1) बीएनएस की विवेचना के क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त अरविन्द यादव पुत्र रामशरण सिंह यादव उम्र करीब 39 वर्ष निवासीग्राम रईशपुर इनायतपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर को

औडिहार तिराहे पर बरहघाट की तरफ सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- पंजीकृत मु0अ0स0 78/2025 धारा 103 (1) बीएनएस की विवेचना के क्रम में बाद साक्ष्य संकलन मुकदमा उपरोक्त में धारा 103 (1) बीएनएस की घटोत्तरी करते हुये धारा 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01 . अरविन्द यादव पुत्र रामशरण सिंह यादव उम्र करीब 39 वर्ष निवासीग्राम रईशपुर इनायतपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर